प्रेस नोट थाना चिलुआताल दिनांक 01-04-2021

हत्या के आरोप में 01 अभियुक्त व 01 साजिशकर्ता अभियुक्ता को आलाकत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार

दिनांक 21.03.2021 को अजय यादव पुत्र स्व0 रामानन्द यादव निवासी नकहा नं0 1 गायत्रीपुरम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र 32 वर्ष अपने घर से बाहर निकला था जो कि कही गुम हो गया जिसके सम्बन्ध में उसकी पत्नी रीना यादव द्वारा दिनांक 23.03.2021 को थाना चिलुआताल पर गुमशुदगी अंकित करायी गयी थी, दिनांक 28.03.2021 को थाना क्षेत्र गुलरिहा के बनगाई जंगल में उक्त गुमशुदा अजय यादव का शव बरामद हुआ जिसका पोस्टमार्टम दिनांक 29.03.2021 थाना गुलरिहा से कराया गया जिसमें अजय यादव की मृत्यु चोट पहुंचां कर किया जाना पाया गया चूंकि थाना चिलुआताल पर पूर्व में ही गुमशुदगी अंकित थी जिसके कारण थाना चिलुआताल पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा घटना का अनावरण कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेत् निर्देश दिया गया था । जिसके फलस्वरुप पुलिस अधीक्षक उत्तरी व स0प्0अ0/क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के मार्ग दर्शन मे प्रभारी निरीक्षक चिल्आताल द्वारा टीम गठित कर दिनांक 31.03.2021 को अभियुक्त सुनील साहनी पुत्र अर्जुन साहनी नि0 मसहवा लच्छीपुर थाना गोरखनाथ गोरखपुर को समय 19.25 बजे भगौती चौराहा थाना गोरखनाथ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल (जिसपर अजय यादव को अभियुक्त सुनील साहनी बैठाकर ले गया था) बरामद हुयी तथा अभियुक्त के द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल गड़ासा व मृतक अजय की चप्पल बनगाई जंगल से बरामद करायी गयी पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुनील साहनी द्वारा बताया गया कि अजय यादव की पत्नी रीना यादव से अभियुक्त मोबाइल फोन पर पिछले कई महीने से बात -चीत करता था और बात-चीत के दौरान काफी नजदीकियां हो गयी थी। अजय यादव अपनी पत्नी को अक्सर मारता पीटता था और अपनी जमीन सम्पत्ति भी बेच रहा था जिसपर रीना यादव नें अभियुक्त स्नील साहनी को हैदराबाद से बुलाया और अपने घर में किरायेदार के रुप में रख लिया तथा दोनो ने अजय यादव की हत्या की योजना बनाई जिसपर अजय यादव को सुनील साहनी बनगाई जंगल में मोटरसाइकिल पर बैठाकर दिनांक 21.03.2021 को ले गया और दारु पिलाकर उसे काफी नशे में करके वही जंगल में ही गड़ासे से उसकी हत्या कर दी। दिनांक 01.04.02021 को मृतक की पत्नी रीना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

नाम पता अभियुक्त-

- 1. सुनील साहनी पुत्र अर्जुन साहनी नि0 मसहवा लच्छीपुर थाना गोरखनाथ गोरखपुर
- 2. रीना यादव पत्नी स्व0 अजय यादव नि0 नकहा नं01 भिटवा टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान:-

अभियुक्त सुनील साहनी – दिनांक 31.03.2021 समय 19.25 बजे , भगौती चौराहा थाना गोरखनाथ, गोरखपुर । अभियुक्ता रीना यादव – दिनांक 01.04.2021 समय 09.05 बजे ,नकहा नं01 भिटवा टोला थाना चिलुआताल, गोरखपुर ।

बरामदगी विवरण-

- 1. 01 अदद आलाकत्ल गडासा
- 2. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरोस्पेलेण्डर प्लस बिना नम्बर
- 3. मृतक का 01 जोड़ी चप्पल
- 4. दो अदद मोबाइल

अभियोग जिसका अनावरण हुआ:-

1. मु0अ0स0 118/21 धारा 302,201,120B भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी मे शामिल टीमः-

- 1. SHO श्री जयनारायण शुक्ल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 2. उ०नि० राजकुमार सिंह चौकी प्रभारी बरगदवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 3. उ०नि० कौशल किशोर यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 4. हे0का० कामेश्वर दूबे थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 5. का० नरेन्द्र यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 6. का० बृजेश यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 7. का० परविन्दर यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।
- 8. म0का० प्रगति सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।